Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Appeal No.- 155/2020
Abhishek Kumar @ Abhishek Kumar Rishi .....Appellant.
Versus
The State of Bihar & Ors .....Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	07.02.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–563, दिनांक–24.05.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी भारत का एक नागरिक है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखते है। वह पूर्णिया जिला के डगरूआ प्रखंड के बुआरी पंचायत के ग्राम–बेलवा के स्थायी निवासी है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संबंधित पंचायत के लिए अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के उपरांत अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदक दिनांक–14.06.2017 को सभी कागजात एवं शपथ पत्र के साथ आवेदन समर्पित किये। अस्थायी रूप से प्रकाशित मेधा सूची में आवेदक प्रथम स्थान पर उत्तरवादी सं0–05 द्वितीय स्थान पर तथा उत्तरवादी सं0–06 तृतीय स्थान पर थे। आवेदक के सभी योग्यता धारण करते हुए प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद उत्तरवादी सं0–06 का चयन कर लिया जाना नियम के विरूद्ध था, जबकि उत्तरवादी सं0–06 बुआरी ग्राम पंचायत डगरूआ के निवासी न होकर ये जलालगढ़ प्रखंड के डिहिया ग्राम के स्थायी निवासी है। इनके निवास स्थान की पुष्टि वोटर कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड आदि से की जा सकती है। उत्तरवादी सं0–06 संबंधित पंचायत में अनुज्ञप्ति हेतु किये गये आवेदन में डगरूआ प्रखंउ के ग्राम पंचायत बुआरी ग्राम बेलवा अंकित किया गया, जो इनका ननिहाल है। उक्त चयन के विरूद्ध जब आवेदक द्वारा आपत्ति किया गया तो चयन समिति द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा आवेदन पूर्ण रूपेण नहीं भरा गया था। उसमें कई बिन्दु अपूर्ण था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि आवेदक एवं उत्तरवादी सं0–05 दोनो पति–पत्नी	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 07.02.2023	हैं और दोनो का आवेदन पूर्ण रूपेण भरा हुआ था। उनका कहना है कि क्रमशः चयन समिति के द्वारा दो तरह के सूची का निर्माण किया गया, जिसमें एक आवेदन में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाया गया, जबकि दूसरे में अपूर्ण आवेदन दर्शाया गया। चयन के लिए प्रकाशित अंतिम मेधा सूची में फेरबदल कर दूसरा सूची संलग्न किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि चयन में घोर अनियमितता की गई है। इनका कहना है कि उत्तरवादी सं0–06 के मामा द्वारा कार्यालय के पदाधिकारी से सांठ–गांठ कर इनका चयन करवाया गया है। उनके द्वारा चयन समिति द्वारा नियम को ताक पर रखकर यह चयन किया गया जो अनैतिक है। उक्त चयन से दुखी होकर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2418/2019 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लेते हुए संबंधित मामले में सभी पक्षों को सुनकर मुखर आदेश पारित करने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को प्रतिप्रेषित किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में दर्शाया गया कि आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन की कंडिका 05 से 12 तक का कॉलम भरा नहीं रहने तथा व्यवसाय स्थल में विरोधाभाष पाये जाने आदि कारणों से आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त निर्णय से आहत होकर इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। उन्होंने आवेदक के योग्यता को नजर अंदाज करते हुए सिर्फ चयन समिति के प्रतिवेदन को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है, जो अवैधानिक है। आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को अपने तथ्यों को प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार आवेदक उक्त अनुज्ञप्ति हेतु अपने आपको योग्य बताते हुए इनके अपील को स्वीकृत कर अनुज्ञप्ति बहाल करने का अनुरोध किया गया। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–06 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक द्वारा दायर अपील तथ्यों एवं कानून की दृष्टि से न्यायालय में पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत अपील विद्वान जिला समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2418/2019 के रिट याचिता एवं पारित न्याय निर्णय के पूर्ण रूपेण समीक्षोपरांत	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 07.02.2023	आदेश पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से पोषणीय है। आवेदक द्वारा अपील आवेदन के कंडिका 03 में वर्णित तथ्य मनगढ़ंत एवं गलत है क्योंकि उत्तरवादी सं0–06 डगरूआ प्रखंड के बुआरी पंचायत के क्रमशः बुआरी ग्राम का स्थायी निवासी है, जिसकी पुष्टि इनके निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक में अंकित पता से किया जा सकता है। इस प्रकार इनके द्वारा अपील आवेदन में प्रस्तुत अधिकांश तथ्यों को मनगढ़ंत एवं निम्न न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपील को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा संबंधित मामले में इस न्यायालय में दिनांक–30.08.2022 को समर्पित प्रतिशपथ पत्र में दर्शाया है कि प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद जिला समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद जो कि आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2418/2019 में पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध सुनवाई कर पारित आदेश ज्ञापांक–263, दिनांक–24. 05.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अनुमंडल बायसी के बुआरी पंचायत में अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदक के साथ अन्य पाँच (5) अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्रकाशित विज्ञापन में अनुज्ञप्ति सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। आवेदन के अवलोकनोपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन के अनुसूची–1 के कंडिका 05 से 12 तक का कॉलम नहीं भरा गया था। दिनांक–24.07.2018 को अस्थायी मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए चयन समिति द्वारा आपत्ति हेतु दिनांक–30.07.2018 तक का समय निर्धारित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त के आलोक में अपना आपत्ति दिनांक–28.07.2018 को समर्पित किया गया तथा उन्होंने दर्शाया कि मेधा सूची में उनका नाम प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार सभी आपत्ति का निराकरण करते हुए दिनांक–29.09.2018 को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर उत्तरवादी सं0–06 साजन कुमार का अनुज्ञप्ति हेतु चयन किया गया इस चयन से व्यथित होकर आवेदक माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2418/2019 दायर किये, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला समाहर्त्ता, पूर्णिया को 3 माह के अन्दर सभी पक्षों को सुनकर मुखर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। उक्त	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 07.02.2023	के आलोक में जिला समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा सभी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सभी पक्षों को सुनकर ज्ञापांक–563, दिनांक–24.05.2019 द्वारा आदेश पारित किया गया। समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश में दर्शाया गया कि आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन (अनुसूची–1) के कॉलम 05 से 12 तक को नहीं भरा गया था। क्रमशः फलतः चयन समिति इस निष्कर्ष पर नहीं पहूँच पाये कि उनका व्यवसाय स्थल अपना है या किराया पर है, आवेदक के पास किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है या नहीं किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से दोषी ठहराया गया है या नहीं, आवेदक सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित है या नहीं। तदनुसार मेधा सूची में आवेदक के प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद चयन समिति द्वारा आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गई तथा सुयोग्य अभ्यर्थी साजन कुमार का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थी का आवास, आय तथा जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया था। इस प्रकार आवेदक द्वारा आवेदन के अनुसूची–1 के कंडिका 05 से 12 तक की सूचना नहीं भरे जाने के कारण आवेदन को अपूर्ण पाते हुए अस्वीकृत किया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदक के अपील वाद को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से नहीं भरा गया। साथ ही इस न्यायालय में दायर अपील आवेदन के साथ संलग्न कागजात में आवेवदन पूर्ण भरा गया दिखाना इसके द्वारा फर्जीवारा को दर्शाता है। आवेदक अपने दावे को सिद्ध करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

WebCopy. Not Official.

Web Copy. Not Official.